कार्यालय चुनाव अधिकारी
गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिब
जिला ऊधम सिंह नगर।

अधिसूचना

No- 01 / GSNMS / Elections /2021 Dated: 25-12-2021

मा0 आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनॉक 24.09.2021 से जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर को गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिव के चुनाव संपन्न कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को चुनाव अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या–2294/न्याय अनुभाग–प्रथम/विविध (पत्रावली सं0–51)/2019 दिनॉक 20 नवम्बर, 2021 से अधोहस्ताक्षरी को चुनाव अधिकारी नामित किया गया हैं। दिये गये निर्देशों के क्रम में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, श्री नानकमता साहिब के चयन हेतु चुनाव आयोजित किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया स्मृति पत्र (Memorandum Of Association, Gurudwara Parbhandak Committee Shri Nanakmatta Sahib) सन् 1987 में वर्णित नियमों के अधीन की जाएगी।

अतः दिये गये निर्देशानुसार गुरुद्वारा प्रबंध समिति नानकमता के चुनाव के लिये अधिसूचना जारी की जा रही है व चुनाव प्रकिया संचालन कराने हेतु निम्नलिखित तिथियॉ/अनुसूची प्रकाशित की जा रही हैं जिसका पालन अपरिहार्य परिस्थितियो को छोड़कर यथासंभव किया जायेगा ।

1. वार्ड/हल्कों की घोषणा/अधिसूचना – **26.12.2021**
2. अधिसूचित हल्कों के अर्न्तगत स्थित सभी गुरुद्वारा साहिब को गुरुद्वारा नानकमता साहिब से संबद्वता/पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किये जायेंगे। केवल वही गुरुद्वारा साहिब पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा जो **अनुलग्नक–अ** में उल्लिखित शर्तो को पूरा करेगा। पूर्व में पंजीकृत गुरुद्वारा साहिब को पुनः आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा, नवीन गुरूद्वारों को नानकमत्ता साहिब से संबद्धता/पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। इस अधिसूचना का **अनुलग्नक–ब** पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र है। **–24.01.2022 तक**
3. **अंतिम तिथि**–उचित व पूर्ण रुप से भरा हुआ पंजीकरण आवेदन पत्र 10 रुपये के पोस्टल आर्डर जो गुरुद्वारा प्रबंध समिति नानकमता के पक्ष में देय हो के साथ चुनाव अधिकारी के कार्यालय **(कक्ष सं0–15/ए. कलैक्ट्रट भवन रूद्रपुर, उधम सिंह नगर)** में दिनांक 24.01.2022 समय अपरान्ह् 03:00 बजे तक पहुंचना आवश्यक है। **–24.01.2022**
4. संबद्धता/पंजीकरण के लिये आवेदन करने वाले सभी गुरुद्वारो की सूची का प्रकाशन **–31.01.2022**
5. **आपत्तियों हेतु आमंत्रण**– संबद्धता/पंजीकरण के विरुद्ध आपत्तियों के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि– **07.02.2022 समय अपरान्ह् 03:00 बजे तक**
6. आपत्तियों का निस्तारण, यदि कोई हो, तथा संबद्धता/ पंजीकरण के आदेश का प्रकाशन– **09.02.2022**
7. प्रत्येक वार्ड/ हल्कों के पंजीकृत गुरुद्वारों की अंतिम सूची का प्रकाशन– **09.02.2022**
8. गुरुद्वारा नानकमता साहिव से संबद्ध प्रत्येक गुरुद्वारा से एक डेलीगेट/प्रतिनिधि का चुनाव **–13.02.2022 से 27.02.2022 तक**
9. गुरुद्वारा प्रवंधक समिति के सदस्य हेतु योग्यता अधिसूचना के **अनुलग्नक –स** में निहित योग्यता होगी।
10. एक मतदाता / निर्वाचक हेतु योग्यता इस अधिसूचना के **अनुलग्नक –द** में निहित हैं।

11. एक विशेष गुरुद्वारा से प्रतिनिधि/ डेलीगेट उसी तहसील का होना चाहिये जिस तहसील के अर्न्तगत वह गुरुद्वारा स्थित है।

12. प्रत्येक गुरुद्वारे से डेलीगेट/ प्रतिनिधि की सूची संपूर्ण विवरण (नाम, पता, मोबाईल नं0, ईमेल –आईडी, शैक्षणिक योग्यता, 2 फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड व आपराधिक रिकार्ड यदि कोई हो) के साथ **दिनांक 05.03. 2022 तक** चुनाव अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये। प्रत्येक डेलीगेट/ प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी की समीक्षा चुनाव अधिकारी द्वारा की जायेगी व अतिरिक्त जानकारी की आवश्यक्ता होने पर जरुरी सूचना जारी की जायेगी । उपरोक्त संपूर्ण विवरण चुनाव अधिकारी के कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि– **दिनांक 05.03.2022 समय अपरान्ह् 03:00 तक।**

13. मेंबरों का चुनाव गुरुद्वारा नानकमता साहिब में समूहवार आयोजित किया जायेगा, सभी हल्कों/वार्डों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जायेगा व प्रत्येक वार्ड / हलके के प्रतिनिधि / मेंबर के चुनाव के लिये विशेष तिथि नियत की जायेगी । उपरोक्त चुनाव (सदस्य/ मेंबर) **दिनॉक 10.03.2022** से आरंभ होगा ।

14. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति नानकमता साहिब के निर्वाचित सदस्यों के परिणाम की घोषणा–सदस्यों के चुनाव के समापन के अगले दिने।

15. निर्वाचित समिति की पहली बैठक एवं पदाधिकारियों (Office Bearers) का चुनाव – परिणाम की घोषणा के अगले दिन।

16. पदाधिकारियों की पहली बैठक, उपसमितियों के गठन की तिथि बाद में अधिसूचित की जायेगी।

17. चुनाव के लिये आचार संहिता इस अधिसूचना के <u>**अनुलग्नक –य**</u> में है।

18. यह अधिसूचना एवं अधिसूचना में वर्णित सभी संलग्नक गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिब के कार्यालय एवं वेवसाईट (www.nanakmattasahib.com) पर उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में चुनाव अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

(जय भारत सिंह)
चुनाव अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्र0/न0)
उधम सिंह नगर।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को प्रेषित

1– आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल ।

2– जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ।

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर ।

4–जिलाधिकारी , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शहजहांपुर , लखीमपुर खीरी।

5–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी।

6– जनपद ऊधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी में स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारे व अन्य प्रमुख गुरुद्वारे तथा गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के साथ पंजीकरण/संबद्धता के आशय के साथ चुनाव अधिसूचना का सभी सिंह सभाओं में परिचालन। गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के साथ पंजीकरण/संबद्धता के इच्छुक सभी गुरूद्वारे <u>अनुलग्नक–ब</u> के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

7– जिला सूचना अधिकारी, उधम सिंह नगर को इस अनुरोध के साथ कि वह चुनाव अधिसूचना को व्यापक प्रचलन हेतु जनपद ऊधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , विजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी के समाचार पत्रों में खबर के रूप में प्रकाशित करवाना सुनिचित करें।

8–समाचार पत्र – दैनिक जागरण , अमर उजाला , उत्तर उजाला , हिन्दुस्तान हिन्दी, पंजाव केसरी के जनपद उधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , विजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी में प्रचलित संस्करणों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का कम से कम दो दिन तक विज्ञापन व समाचार के रुप में प्रकाशन ।

9– समाचार पत्र अजीत पंजाबी के जनपद उधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी में प्रचलित संस्करणों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का कम से कम दो दिन तक विज्ञापन व समाचार के रुप में प्रकाशन ।

10–गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के नोटिस बोर्ड व नानकमता के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन।

11–नानकमता व सितारगंज के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन ।

12– जनपद उधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , विजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी के सभी जिला मुख्यालयों व तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन।

13– दिनांक 02.01.2022 को अमावस पर्व पर लगने वाले धार्मिक दीवान के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना की उद्घोषणा।

14– प्रबन्धक, गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिब को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति/सूचना गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिब की वेवसाईट पर अपलोड करने के साथ ही उपरोक्त कमांक 09, 10, 11, 12 एवं 13 के सन्दर्भ में अपने स्तर/संसाधनों से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित कर उसका साक्ष्य सहित आख्या चुनाव अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

चुनाव अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्र0/न0)
उधम सिंह नगर।

अनुलग्नक–अ

गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के साथ पंजीकरण/संबद्धता के लिये गुरुद्वारे द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्ते

1. वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश व सस्वर पाठ सिख रहत मर्यादा के अनुसार होना चाहिये।

2. वहां सिख धर्म के ध्वज के साथ एक निशान साहिब होना चाहिये ।

3. संगत के लिये गुरु का लंगर उपलब्ध होना चाहिये ।

4. गुरुद्वारा सार्वजनिक रुप से संगत के लिये खुला हो व एक धर्म / जाति समूह तक ही सीमित न हो व सिख संगत के लिये पाठ/अरदास/ धमर्मार्थ कार्यो के लिये उपलब्ध हो।

5. गुरुद्वारे में शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रचलित सिख रहत मर्यादा के अनुसार पाठ व कीर्तन होना चाहिये।

6. गुरुद्वारा साहिब में सिख धर्म रहित मर्यादा के विपरीत कोई कार्य / गतिविधि संचालित नही होनी चाहिये।

7. गुरुद्वारा में कोई गुरु चेला परंपरा नही होनी चाहिये।

8. वहां के मुखिया को गद्दी की परंपरा नही होनी चाहिये।

9. गुरुद्वारा एक ट्रस्ट या एक परिवार द्वारा नही चलाया जाना चाहिये।

10. गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधन समिति (पंजीकृत है या अपंजीकृत) होनी चाहिये जो कि गुरुद्वारे के विकास व बेहतरी के लिये कार्य करे।

11. गुरुद्वारा परिसर में गुरु की गोलक के अलावा किसी व्यक्ति/समूह/संस्था से संबंधित कोई अन्य गोलक नही होनी चाहिये।

12. गुरुद्वारा विगत 5 वर्षों अर्थात 31.12.2016 से पूर्व से सिख रहत मर्यादा के अनुसार संचालित हो रहा हो ।

अनुलग्नक–ब

1. गुरूद्वारा का नाम
2. पता (कालोनी/गांव/डाकघर/तहसील/जिला)
3. एसटीडी कोड या स्थाई व वैध मोबाईल नंबर के साथ फोन नंबर
4. ईमेल पता यदि कोई हो
5. स्थापना की तिथि
6. गुरूद्वारा साहिब में श्री गुरू ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश की तिथि
7. श्री गुरूग्रंथ साहिब का प्रकाश वहां दैनिक रूप में है या नहीं तथा सिख रहत मर्यादाओ के अनुसार वहां श्री गुरू ग्रंथ साहिब का पाठ होता हैं। (हां/नहीं)
8. गुरूद्वारा के रूप में सिख धर्म के ध्वज के साथ एक निशान साहिब है या नहीं (हां/नहीं)
9. क्या गुरू का लंगर संगत के लिये उपलब्ध है (हां/नहीं), यदि हां तो समय।
10. क्या गुरूद्वारा सार्वजनिक पूजा के लिए खुला है व सिख संगत के लिए पाठ/अरदास/धममार्थ कार्यो के लिए उपलब्ध हैं (हां/नहीं)
11. क्या पाठ व कीर्तन सिख रहत मर्यादा के अनुसार किया जाता है। (हां/नहीं)
12. क्या गुरूद्वारा में कोई गुरू चेला परम्परा हैं। (हां/नहीं)
13. क्या गुरूद्वारा एक ट्रस्ट या एक परिवार द्वारा चलाया जाता हैं। (हां/नहीं)
14. क्या गुरूद्वारा में गद्दी की परंपरा हैं (हां/नहीं)
15. क्या गुरूद्वारा किसी कार सेवा समूह द्वारा चलाया जाता हैं। (हां/नहीं)
16. क्या गुरूद्वारे में गुरू की गोलक के अलावा कोई अन्य गोलक भी रखी गई है। (हां/नहीं)
17. क्या गुरूद्वारे के प्रबन्धन के लिए कोई प्रबन्धन समिति है। (हां/नहीं) यदि प्रबंधन समिति है तो पंजीकृत है या अपंजीकृत।
18. सदस्यो व प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों का संपूर्ण विवरण नाम, पिता का नाम, आयु, स्थाई पता, मो0 नं0 व व्यवसाय सहित एक अलग कागज पर दिया जाना चाहिए।
19. पोस्टल आर्डर की तिथि व संख्या/नम्बर–

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य व सही हैं। मेरे द्वारा सिख रहत मर्यादा के विपरीत कोई कार्य/गतिविधि संचालित नहीं की गई हैं।

तदानुसार गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब के साथ संबद्धता के लिए आवेदन किया गया हैं।

आपका
विश्वासपात्र
नाम व हस्ताक्षर
प्रधान/सचिव

Atul

अनुलग्नक–स

गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी नानकमत्ता साहिब के सदस्य के उम्मीदवार के लिए आवश्यक शर्ते

1. वह शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा निर्धारित सिख रहत मर्यादा का पालन करने वाला हो।
2. वह दिवालिया न हो।
3. वह भारत की किसी भी अदालत में किसी आपराधिक मामले में भगोडा घोषित न हो।
4. वह स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए।
5. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
6. वह गुरूद्वारा समिति का वेतनभोगी या श्रमिक नहीं होना चाहिए।
7. उसकी आयु दिनॉक 31.11.2021 को 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
8. वह भारत के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अपराध हेतु अपराधी सिद्ध न हुआ हो।
9. चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने के समय या चुनाव के समय वह न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में न हो।
10. उसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में कोई आरोप तय न हुये हो।
11. वह एक अमृतधारी सिख होना चाहिए।
12. वह गुरूमुखी लिपि (पंजाबी भाषा) में लिखना, पढ़ना जानता हो। हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।
13. गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब व भारत के किसी भी अन्य गुरूद्वारे के साथ हितों को लेकर संघर्ष में शामिल न रहा हो।
14. वह श्री अकाल तख्त साहिब व किसी अन्य तख्त साहिब या अन्य किसी गुरूद्वारे द्वारा दंडित न किया गया हो।

अनुलग्नक–द

निर्वाचक/वोटर की योग्यता

1. वह एक केशधारी /अमृतधारी सिक्ख होना चाहिए।
2. वह स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए।
3. दिनॉक 31.11.2021 तक उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
4. सिख धर्म के मूल सिद्वान्तों के विरूद्ध किसी क्रियाकलाप में शामिल न हो।

अनुलग्नक–य

गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी नानकमता के प्रतिनिधि /सदस्य/पदाधिकारियों के पद हेतु चुनाव लड़ने हेतु आचार संहिता।

1. कोई भी उम्मीदवार किसी भी ऐसी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा जिससे वर्तमान मतभेदों को बढ़ावा मिले या जो आपसी घृणा उत्पन्न करें अथवा विभिन्न जातियों व समूहों में विवाद उत्पन्न करें।

2. चुनाव में सम्मिलित उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी अन्य उम्मीदवार अथवा व्यक्ति की आलोचना से बचे।

3. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी गुरूद्वारा परिसर में चुनाव प्रचार व प्रसार नहीं किया जायेगा।

4. गुरूद्वारा डेलीगेट के चुनाव हेतु प्रचार की प्रक्रिया चुनाव से 24 घन्टे पहले बन्द करनी होगी तथा वार्ड/हल्का के प्रतिनिधि का चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बन्द करना होगा।

5. उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होगें जैसे कि वोटर को घूस देना, धमकी देना, वोटर की जगह किसी और से वोटिंग करवाना, पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में प्रचार व प्रसार करना, पोलिंग स्टेशन से वोटरों को लाना/ले जाना इत्यादि।

6. उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी वोटिंग वाले दिन तथा 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी भी वोटर को शराब, धन अथवा किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगें।

7. उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी, किसी भी वोटर को अनैतिक और असंवैधानिक प्रक्रिया से लुभाने का प्रयास नहीं करेंगे।

8. वार्ड के प्रतिनिधि के चुनाव वाले दिन उम्मीदवार (गुरूद्वारा के डेलीगेट) पुलिस स्टेशन नानकमता को सूचित करेंगे कि चुनाव में कितनी गाड़ियाँ आ रही है और लगभग कितने लोग और सहयोगी आ रहे हैं।

9. उपरोक्त सूचना प्रबन्धक कमेटी के चयनित सदस्य प्रबन्धक समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के समय भी देंगे।

10. चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा चुनाव परिणाम घोषित होने पर अग्नेयास्त्र अथवा अन्य शस्त्र न ही लाये जायेगें अथवा न ही प्रदर्शित किये जायेंगे। यदि किसी उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी द्वारा शस्त्र लाये जाते हैं तो वह पुलिस द्वारा जब्त कर लिए जायेगे। धार्मिक प्रयोजन हेतु कृपाण की छूट होगी परन्तु उसका उपयोग किसी अवैध कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

11. उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया में तैनात पुलिस तथा स्टाफ के साथ सम्पूर्ण सहयोग करना होगा।

12. उम्मीदवार द्वारा कोई भी मीटिंग अथवा जुलूस शान्तिपूर्वक ढंग से निकाला जायेगा जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी न हो तथा इसकी सूचना ससमय सम्बन्धित थाने में देनी होगी।

13. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी गुरूद्वारा के डैलीगेट (प्रतिनिधि) हेतु चुनाव लड़ रहा है, उसे नामांकन/नोमिनेशन फार्म <u>अनुलग्नक –1</u> के रूप में भरना होगा।

14. किसी व्यक्ति के गुरूद्वारा के डैलीगेट अथवा प्रतिनिधि हेतु एकमत चुने जाने पर रिकार्ड रखने हेतु नोमिनेशन प्रपत्र भरना होगा।

15. किसी भी डेलीगेट अथवा वार्ड के प्रतिनिधि तथा आफिस पदाधिकारी पद हेतु गुप्त मतदान द्वारा चुनाव किया जायेगा।

16. मतगणना वाले दिन सम्बद्ध डैलीगेट अथवा प्रबन्ध समिति का चयनित सदस्य कोई एक काउन्टिंग एजेन्ट मनोनीत कर सकता है जो मत गणना के समय उपस्थित रह सकता हैं।

17. काउन्टिंग एजेन्ट मनोनीत करने हेतु <u>अनुलग्नक –2</u> भरना होगा तथा डैलीगेट अथवा चयनित प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा।

18. गुरूद्वारा के डैलीगेट के चुनाव हेतु उसी संबंधित गुरूद्वारा की प्रबन्ध समिति द्वारा एक चुनाव अधिकारी मनोनीत किया जायेगा।

19. चुनाव अधिकारी हेतु चयनित व्यक्ति क्षेत्र का गणमान्य एवं शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सत्यनिष्ठा निर्विवाद हो तथा कोई अपराधिक रिकार्ड न हो।

20. उक्त चुनाव अधिकारी द्वारा डैलीगेट का चुनाव सही ढंग से तथा पारदर्शिता के साथ करवाना होगा। किसी भी प्रकार की कठिनाई हेतु गुरूद्वारा की प्रबन्ध समिति अथवा समिति द्वारा मनोनीत चुनाव अधिकारी, जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

21. किसी भी उम्मीदवार (डैलीगेट अथवा प्रबन्ध समिति के सदस्य) के विरूद्ध शिकायत नियुक्त चुनाव अधिकारी से की जा सकती है।

22. प्रत्येक उम्मीदवार तथा उसके सहयोगी शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे तथा बिना किसी चिढ़ अथवा रूकावट के सम्पूर्ण आजादी के साथ वोटर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने देंगे।

23. उम्मीदवार को अपने कर्मचारियों / स्वयंसेवकों को बैज अथवा परिचय पत्र फोटो सहित उपलब्ध कराने होंगे।

24. डैलीगेट अथवा गुरूद्वारा श्री नानकमता साहिब की प्रबन्ध समिति के चुनाव अथवा ऑफिस पदाधिकारियों के चुनाव वाले दिन उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगियों द्वारा कोई भी खाने की वस्तु यहाँ तक कि लंगर भी परोसा नहीं जायेगा।

25. किसी भी गुरुद्वारा के प्रतिनिधि / डेलीगेट के रुप में चुनाव लडने वाले सभी व्यक्तियों के नामांकन पत्रों की एक प्रति चुनाव अधिकारी के कार्यालय, कार्यालय जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर के कक्ष संख्या–15/ए में पहुंचानी होगी जबकि एक अतिरिक्त प्रति संबंधित गुरुद्वारा में रिकार्ड रुप में अनिवार्य रुप से रखनी होगी ।

26. मतदान निष्पक्ष मतदान केन्द्रों पर हों। मतदान केन्द्र गुरुद्वारे में न हो व मतदान केन्द्र ऐसी जगह हो जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। मतदान केन्द्र साफ सुथरे व मतदान के लिये उपर्युक्त हों। मतों की गणना एक सुरक्षित जगह पर होनी चाहिये। मतदान एक दिन में सपन्न हो व प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक संपन्न हों। गुरुद्वारा प्रतिनिधि / डेलीगेट के मतदान की तिथि से सभी संबंधितों को समय रहते अवगत कराना आवश्यकीय है।

27.गुरुद्वारा प्रतिनिधि / डैलीगेट के नामांकन के लिये कम से कम दो प्रस्तावक होंगे जो केशधारी या अमृतधारी सिख होंगे।

28. डेलीगेट से वार्ड / हलके के प्रतिनिधि के नामांकन के लिये कम से कम दो प्रस्तावक होंगे जो अमृतधारी सिख होंगे।

29. गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, श्री नानकमत्ता साहिब के चुनावों के समस्त चरणों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा कोविड–19 के नियमों के उल्लंघन किसी भी दशा में नही किया जाएगा। कोविड–19 के नियमों का उल्लंघन करने की दशा में सभी सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन, उधम सिंह नगर द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपाय (यदि कोई हो) का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक--1

नागांकन फार्म

नवीनतम फोटो चस्पा करें

1. उम्मीदवार का नामः
2. पिता/पति का नामः
3. आयु 31.11.2021 तकः
4. पता–

   अधार कार्ड/वोटर आई0डी0 की कॉपी संलग्न करें।

5. फोन नंबर या वैध व स्थाई मोबाईल नंबरः
6. पैन कार्ड नंबरः

   पैन कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न करें।

7. ई–मेल आई0डी0 यदि कोई हो।

8. आवेदक की घोषणाः–

   अ– वह श्री अकाल तख्त साहिव द्वारा प्रमाणित व प्रचलित रहत मर्यादा का पालन करता हैं।

   ब– वह दिवालिया नहीं हैं।

   स–वह किसी भी न्यायालय में लंबित किसी भी अपराध में भगोडा नहीं हैं।

   द–वह स्वस्थ मन का हैं।

   ई– वह भारत का नागरिक हैं।

   क–वह गुरूद्वारा समिति का वेतनभोगी श्रमिक नहीं हैं।

   ख–वह एक अमृतधारी सिख हैं।

   ग–वह गुरूमुखी भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है व पंजाबी लिखना–पढ़ना जानता हैं।

9. क्या आवेदक भारत के किसी सक्षम न्यायालय में आपराधिक कृत्य/नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है। (हां/नही)

   यदि हां तो मामले में आरोप जो निर्धारित किये गये, का संपूर्ण विवरण वाद संख्या सहित।

10. क्या कभी पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। (हां/नही)

    यदि हां तो वाद का संपूर्ण विवरण।

11. क्या आवेदक के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में कोई आरोप तय हुये हैं। (हां/नही)
यदि हां तो वाद का संपूर्ण विवरण।

12. क्या आवेदक हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता हैं। (हां/नही)

13. क्या आवेदक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब व भारत के किसी भी अन्य गुरुद्वारे के साथ हितो को लेकर टकराव रखता हैं। (हां/नही)

14. क्या आवेदक अपने किसी कृत्य के लिये श्री अकाल तख्त साहिब व किसी अन्य तख्त साहिब द्वारा दंडित किया गया हैं। (हां/नही)

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य व सही हैं व कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया हैं।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

प्रस्तावकों के नाम, पता व हस्ताक्षर

1—

2—

अनुलग्नक–2

मतगणना एजेंट की नियुक्ति

नवीनतम फोटो चस्पा करे

सेवा में,

श्रीमान निर्वाचन अधिकारी

चुनाव, गुरूद्वारा प्रवन्धक कमेटी श्री नानकमत्ता साहिव।

मैं .... के चुनाव में उम्मीदवार हूँ। मेरे द्वारा मतों की गिनती के लिये एजेंट के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति को नियुक्त किया गया हैं।

मतगणना एजेंट का नाम व पताः

अधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पैन कार्ड नं0 व कापी संलग्न करें।

1–

उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर

मैं श्री .... के मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

मतगणना एजेंट का हस्ताक्षर

स्थान.................................

दिनॉक..............................

मतगणना एजेंट की घोषणा

मैं घोषण करता हूँ कि मैं मतगणना हेतु निर्धारित गोपनीयता (कानून द्वारा निर्धारित) बनाये रखुंगा व गोपनीयता को तोड़ने वाली कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ सांझा नहीं करूंगा।

मतगणना एजेंट का हस्ताक्षर

स्थानः

दिनॉकः